

परिशिष्ट का प्रपत्र

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. गुना (म.प्र.)

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 10 के प्रश्नांश "क" की जानकारी


बैठक दिनांक 22.02.20107


सदस्य श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

क्रं.	अरविंद शर्मा के विरुद्ध पिछले दो वर्षों में जिलाधीश महोदय गुना को प्रस्तुत पत्र में (श्री अरविन्द शर्मा एवं अन्य शिकायतों में अरविन्द शर्मा का नाम अंकित है वह भी सम्मिलित है)	शिकायतों पर की गई कार्यवाही
1.	श्री महेन्द्र सिंह जी विधायक महोदय का पत्र क्रमांक 471 दिनांक 01.05.2015	जिला अशोकनगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित होने के कारण कलेक्टर महोदय जिला गुना के पत्र क्रमांक 964 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर को अन्य पत्रों के साथ कार्यवाही कर विधायक महोदय को अवगत कराने भेजा गया। प्रतिलिपि विधायक महोदय को भेजी गई है।
2.	श्री महेन्द्र सिंह जी विधायक महोदय का पत्र क्रमांक 510 दिनांक 31.05.2015	जिला अशोकनगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित होने के कारण कलेक्टर महोदय जिला गुना के पत्र क्रमांक 964 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर को अन्य पत्रों के साथ कार्यवाही कर विधायक महोदय को अवगत कराने हेतु भेजा गया। प्रतिलिपि विधायक महोदय को भेजी गई है।
3	श्री महेन्द्र सिंह जी विधायक महोदय का पत्र दिनांक 08.06.2015	जिला अशोकनगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित होने के कारण कलेक्टर महोदय जिला गुना के पत्र क्रमांक 964 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर को अन्य पत्रों के साथ कार्यवाही कर विधायक महोदय को अवगत कराने हेतु भेजा गया। प्रतिलिपि विधायक महोदय को भेजी गई है।
4	श्री महेन्द्र सिंह जी विधायक महोदय का पत्र क्रमांक 635 दिनांक 28.09.2015	जिला अशोकनगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित होने के कारण कलेक्टर महोदय जिला गुना के पत्र क्रमांक 1815 दिनांक 17.11.2015 के द्वारा कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर को अन्य पत्रों के साथ कार्यवाही कर विधायक महोदय को अवगत कराने हेतु भेजा गया। प्रतिलिपि विधायक महोदय को भेजी गई है।

5	श्री महेन्द्र सिंह जी विधायक महोदय का पत्र दिनांक 06.11.2015	जिला अशोकनगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित होने के कारण कलेक्टर महोदय जिला गुना के पत्र क्रमांक 1815 दिनांक 17.11.2015 के द्वारा कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर को अन्य पत्रों के साथ कार्यवाही कर विधायक महोदय को अवगत कराने हेतु भेजा गया। प्रतिलिपि विधायक महोदय को भेजी गई है।
6	श्री महेन्द्र सिंह जी विधायक महोदय का पत्र क्रमांक 853 दिनांक 20.08.2016	जिला अशोकनगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित होने के कारण कलेक्टर महोदय जिला गुना के पत्र क्रमांक 1060 दिनांक 01.09.2016 के द्वारा कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर को अन्य पत्रों के साथ कार्यवाही कर विधायक महोदय को अवगत कराने हेतु भेजा गया। प्रतिलिपि विधायक महोदय को भेजी गई है।
7	श्री महेन्द्र सिंह जी विधायक महोदय का पत्र क्रमांक 1212 दिनांक 22.08.2016	जिला अशोकनगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित होने के कारण कलेक्टर महोदय जिला गुना के पत्र क्रमांक 1060 दिनांक 01.09.2016 के द्वारा कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर को अन्य पत्रों के साथ कार्यवाही कर विधायक महोदय को अवगत कराने हेतु भेजा गया। प्रतिलिपि विधायक महोदय को भेजी गई है।
8	श्री महेन्द्र सिंह जी विधायक महोदय का पत्र क्रमांक 858 दिनांक 22.08.2016	जिला अशोकनगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित होने के कारण कलेक्टर महोदय जिला गुना के पत्र क्रमांक 1060 दिनांक 01.09.2016 के द्वारा कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर को अन्य पत्रों के साथ कार्यवाही कर विधायक महोदय को अवगत कराने हेतु भेजा गया। प्रतिलिपि विधायक महोदय को भेजी गई है।
9	श्री महेन्द्र सिंह जी विधायक महोदय का पत्र दिनांक 13.08.2016	कलेक्टर महोदय के पत्र क्रमांक 2756 दिनांक 10.11.2016 के द्वारा उप आयुक्त सहकारिता जिला अशोकनगर को कार्यवाही कर विधायक महोदय को अवगत कराने हेतु भेजा गया है। जिसकी प्रतिलिपि कलेक्टर गुना एवं लोक लेखा समिति अध्यक्ष महोदय को दी गई है। श्री अरविंद शर्मा, सहायक सचिव के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., ओंडेर के प्रशासक को निर्देश दिये गये हैं।

10	श्री महेन्द्र सिंह जी विधायक महोदय का पत्र दिनांक 07.09.2016	कलेक्टर महोदय के पत्र क्रमांक 2756 दिनांक 10.11.2016 के द्वारा उप आयुक्त सहकारिता जिला अशोकनगर को कार्यवाही कर विधायक महोदय को अवगत कराने हेतु भेजा गया है। जिसकी प्रतिलिपि कलेक्टर गुना एवं लोक लेखा समिति अध्यक्ष महोदय को दी गई है।
11	श्री महेन्द्रसिंह जी विधायक महोदय का पत्र दिनांक 22.12.2016	मुख्य कार्यपालन का पत्र क्र./स्था./3294 दिनांक 30.01.2017 के द्वारा उप आयुक्त सहकारिता जिला अशोकनगर को श्री अरविन्द शर्मा के विरुद्ध प्रशासक से संस्था सेवा नियमानुसार कार्यवाही कराई जाकर विधायक महोदय को अवगत कराने भेजा गया है। जिसकी प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय अशोकनगर एवं विधायक महोदय को भेजी गई। श्री अरविंद शर्मा, सहायक सचिव के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., ऑडेर के प्रशासक को निर्देश दिये गये हैं।
12	श्री महेन्द्रसिंह जी विधायक महोदय का पत्र दिनांक 04.01.2017	कलेक्टर महोदय गुना द्वारा कार्यालय के पत्र क्र. 12/विविध/2017 दिनांक 05.01.2017 को शिकायत के संबंध में वस्तुस्थिति भेजी गई है।
13	उप आयुक्त सहकारिता जिला अशोकनगर को प्राप्त शिकायत	संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री राजाबाबू दांगी द्वारा अरविन्द शर्मा सहायक सचिव के विरुद्ध शिकायत की गई जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित थी। जाँच में सही नहीं पाई जाने से नस्तीवद्ध की गई।
14	एस.डी.ओ मुंगावली को प्राप्त शिकायत	शासकीय उचित मूल्य दुकान लपटोरा की अनिमितता:-विक्रेता गजेन्द्र सिंह और सहायक सचिव अरविन्द शर्मा के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज की गई है। जिस पर अरविन्द शर्मा को पुलिस कार्यवाही पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रीटपटीशन 9490/2015 में स्थगन दिया गया है।
15	एस.डी.ओ मुंगावली को प्राप्त शिकायत	गेहूँ उर्पाजन केन्द्र के स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में:-संस्था द्वारा संचालित उर्पाजन केन्द्र का स्थान परिवर्तन किया गया।
16	एस.डी.ओ मुंगावली को प्राप्त शिकायत	शासकीय उचित मूल्य की दुकान का खाद्यान्न अन्य जगह पर रखने:-पुलिस द्वारा जब्ती कार्यवाही विक्रेता देवेन्द्र कटारिया से सम्बन्धित है।


अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग


अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.